


5

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प- रीवा, (म.प्र.)

२५१५३१११७



Rs. 30/-

प्रहलाद साहू तनय श्री बद्री प्रसाद साहू, निवासी ग्राम रायखोर तह0 रामपुर नैकिन जिला सिंगरौली (म0प्र0) ----- निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा
द्वारा प्रस्तुत 10.4.17

बलके जाफ की
समक्ष प्रतीवेदन किया
दिनांक 10.4.17

----- गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 19.01.17 जो राजस्व प्रकरण क्र. 543/अपील/12-13 को माननीय अपर आयुक्त महोदय द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

पटवारी हल्का रामपुर नैकिन, तहसील रामपुर नैकिन द्वारा संहिता की धारा 248 के तहत तहसीलदार रामपुर नैकिन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रायखोर की शसकीय आराजी नम्बर 1354/1 जुज रकवा 0.202 हे0 पर निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2007-08 में कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाये। निगरानीकर्ता द्वारा नोटिस का जबाव दिया गया जिस पर तहसीलदार महोदय ने निगरानीकर्ता के उपर 100.00 रु0 अर्थदण्ड आरोपित करते हुए वादग्रस्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई परन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने समय सीमा के बिन्दु पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिस पर अपर आयुक्त महोदय ने भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए

21


न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी / 5153-दो / 17 जिला-सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 543/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-01-17 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी मेमो के साथ आवेदक द्वारा धारा 5 का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में लगभग एक माह से अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र में मात्र यह लेख किया है कि सीधी कैम्प कोर्ट होने के कारण आदेश की सभी फाइलें रीवा आकर ही आदेश पारित किया जाता है। उसके बाद फाइलें जिला सीधी आती हैं। आदेश दिनांक 19-01-17 की जानकारी दिनांक 20-03-17 को हुई। 23-03-17 को नकल का आवेदन प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 07-04-17 को प्राप्त</p>	

हुई। इस कारण हुए विलंब को क्षमा योग्य नहीं। अतः आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन समाधानकारक नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं।

3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 543/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 19-01-17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।


सदस्य